# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 09.03.2024

राजस्व वाद संख्या : 07 / 2024
निर्णय दिनांक : 09.03.2024
जीसीएमएस संख्या– 2024 / 10

दायर दिनांक – 08.01.2024

1. मांगी पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी ग्राम कोडासर जाटान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

................प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

**उपस्थित :–**

1. श्री रमेश बिश्शु एडवोकेट वादीनीग
2. प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।

## निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी ग्राम कोडासर जाटान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के स्थायी निवासी है तथा वादीनी की खातेदारी में वाके रोही कोडासर जाटान में खाता संख्या 20 खेत खसरा संख्या 179 / 155 खातेदारी में दर्ज स्थित है। जिसमें वादीनी का नाम मांगी पुत्र चन्द्राराम दर्ज है। वादीनी का वास्तविक एवं सही नाम मांगी पुत्री चन्द्राराम है, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पुत्र शब्द गलत अंकित है जबकि वादीनी चन्द्राराम की पुत्री है। राजस्व रिकॉर्ड में मांगी पुत्री चन्द्राराम होना चाहिए था जो कि समस्त प्रकार के सरकारी दस्तावेजों में अंकित है। वादीनी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध करवाना चाहती है जिसकी वह कानूनन अधिकारी है। राजस्व रिकॉर्ड में लिगं की भिन्नता होने के कारण वादीनी को राजस्व से सम्बन्धित मिलने वाले सरकारी फायदों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

वादीनी का खेत वाके रोही कोडासर जाटान तहसील सुजानगढ़ में श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार में होने से वाद सुनवाई का अधिकार श्रीमान् जी को प्राप्त है।

वर्तमान राजस्व इन्द्राज [illegible] है, वाके रोही [illegible] कोडासर जाटान में खाता संख्या 20 खेत खसरा संख्या 179 / 155 में वादीनी का नाम पुत्र चन्द्राराम गलत दर्ज है जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.06 15:41:29 IST
Reason: SelfAttested

09.3.2024
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

9/3/24
अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

वादीनी चन्द्राराम की पुत्री है एवं वादीनी का नाम मांगी पुत्री चन्द्राराम सही नाम है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम शुद्ध किया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत खाता संख्या 20 के खसरा संख्या 179/155 वाके रोही कोडासर जाटान तहसील सुजानगढ़ में वादीनी का नाम मांगी पुत्र चन्द्राराम दर्ज है जबकि वादीनी का सही नाम मांगी पुत्री चन्द्राराम है। दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं अतः वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मांगी पुत्र चन्द्राराम के स्थान पर मांगी पुत्री चन्द्राराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की फोटो प्रति, राशन कार्ड की फोटो प्रति आदि दस्तावेजात में भी वादीनी का नाम मांगी पुत्री चन्द्राराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादीनी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

## आदेश

दावा वादीनी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 20 के खसरा संख्या 179/155 रोही कोडासर जाटान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादीनी का नाम मांगी पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी ग्राम कोडासर जाटान खातेदार के स्थान पर मांगी पुत्री चन्द्राराम जाति जाट निवासी ग्राम कोडासर जाटान खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

09.03.24

न्यायिक अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.06 15:41:29 IST
Reason: SelfAttested

09.03.2024

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

सेवारत अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़